उत्तर पश्चिम रेल्वे, जोधपुर

3

मंडल रेल प्रबन्धक कार्यालय
उत्तर पश्चिम रेल्वे, जोधपुर

No. 1 AT/Safety/Safety Circular-3/JU/2024/03 दिनांक 05.03.2024

सभी अधिकारी उ.प.रे. जोधपुर मण्डल, सभी स्टेशन अधीक्षक स्टेशन मास्टर, यातायात निरीक्षक, संरक्षा सलाहकार, यार्ड मास्टर, वरि.सेक्शन इंजीनियर(रेल पथ) , वरि.सेक्शन इंजीनियर(संकेत) , वरि.सेक्शन इंजीनियर(दूरसंचार) , वरि.सेक्शन इंजीनियर (सवारी व माल) मुख्य लोको निरीक्षक मुख्य नियंत्रक कंट्रोल, मुख्य नियंत्रक कैरेज, मुख्य नियंत्रक कंट्रोल लोको, मुख्य नियंत्रक (दूरसंचार) , मुख्य नियंत्रक (बिजली) , प्रशिक्षक यातायात प्रशिक्षण स्कूल जोधपुर , गार्ड व चालक फ़ाइल जोधपुर, जैसलमेर, मेड़तारोड, बाड़मेर व समदड़ी , प्राचार्य डीजल प्रशिक्षण केंद्र भगत की कोठी।

मंडल संरक्षा परिपत्र - 03/2024

विषय : दुर्घटना चेतावनी सिगनल/हूटर/सायरन बजाना।

जब एआरएमई/एआरटी का आदेश हो, दुर्घटना चेतावनी सायरन/हूटर बजाया जाना चाहिये।

दुर्घटना चेतावनी सायरन/हूटर बजाने के लिए निम्नलिखित कूट संकेत निर्धारित हैं :-

क्रम सं	कूट	परिस्थितियाँ
1	प्रत्येक 45 सैकेंड की कालावधी की दो लम्बी सीटियाँ जिनके बीच में 5 सैकेंड का अन्तराल हो।	होम स्टेशन पर लोको शैड/यातायात यार्ड में होने वाली दुर्घटनाओं के लिए जिनमें केवल एआरटी की आवश्यकता है।
2	प्रत्यके 45 सैकेंड की कालावधी की तीन लम्बी सीटियाँ जिनके बीच में 5 सैकेंड का अन्तराल हो।	होम स्टेशन से बाहर होने वाली दुर्घटनाओं के लिए जिनमें केवल एआरटी की आवश्यकता है।
3	प्रत्यके 45 सैकेंड की कालावधी की चार लम्बी सीटियाँ जिनके बीच में 5 सैकेंड का अन्तराल हो।	उन दुर्घटनाओं के लिए जिनमें एआरएमई और एआरटी दोनों की आवश्यकता है।
4	90 सैकेंड की कालावधी की एक लम्बी सीटी।	एआरएमई/एआरटी को रद्द करने के लिए

Scanned with OKEN Scanner

नोट: (i) एआरएमई/एआरटी की आवश्यकता के लिए चेतावनी सिगनल/सायरन/हूटरों को ऊपर निर्धारित किये अनुसार बजाना होगा और 5 मिनट के अन्तराल पर एक बार और इसे बजाना होगा।

(ii) एसएसई (लोको), एसएसई (कै-व वै) और संबंधित अन्य सभी पर्यवेक्षी कर्मचारी यह सुनिश्चित करें कि सहायता गाड़ी,ब्रेक डाउन गैंग और अन्य कर्मचारी जिन्हें एआरएमई/एआरटी में दुर्घटना स्थल पर जाना होता है, चेतावनी सिगनल/सायरन/हूटर को पूर्णतया समझते हैं तथा उनके नाम और पते सही स्थान पर प्रदर्शित किये गये हैं।

दुर्घटना में उपस्थित रहने के लिए वांछित चिकित्सीय स्टाफ के मामले में, एक फोन संदेश भी संबंधित सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारी /सहायक चिकित्सा अधिकारी को भेजा जाये ।

ये चेतावनी सिगनल/सायरन/हूटरों को सुनने पर, एसएसई (लोको), सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारी /सहायक चिकित्सा अधिकारी,सहायता चिकित्सावान के साथ दुर्घटना स्थल पर जाने के लिए तैयार अपने स्टाफ के साथ तुरंत ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर को रिपोर्ट करेंगे।

वरि. मण्डल संरक्षा अधिकारी
उ.प.रे. जोधपुर

प्रतिलिपि :- म.रे. प्रबन्धक व अ.म.रे. प्रबन्धक को सादर सूचनार्थ ।

Scanned with OKEN Scanner